कार्यालय जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिला पदाधिकारी औरंगाबाद।

(मतपत्र/डाक मतपत्र/डमी मतपत्र कोषांग)

आदेश

विधानसभा आम निर्वाचन 2015 के अवसर पर औरंगाबाद जिला में द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मतदान कर्मियों के लिए दिनांक– 06.10.15 से 09.10.15 तक क्रमशः अनुग्रह मध्य विद्यालय एवं अनुग्रह इन्टर महाविद्यालय (गेट स्कूल) तथा अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय औरंगाबाद में निर्धारित किया गया है। माईक्रो ऑब्जर्वर के लिए दिनांक– 10.10.15 एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी के लिए दिनांक– 11.10.15 को टाउन हॉल औरंगाबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन कार्य में लगाये गए कर्मियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्व में ही प्रपत्र 12 एवं 12क (डाक मतपत्र/निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र) उपलब्ध कराया जा चुका है। सुरक्षा बल, पुलिस बल, वाहन चालक, परिचालक एवं क्लीनर को भी उपरोक्त प्रपत्र पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद द्वारा प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी/वाहन प्रबंधन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराया जा चुका है।

2– भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक– 52/2014 एस डी आर, दिनांक– 07.03.2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में मतदान दलों के कर्मचारी, सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ऐसे कर्मचारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों, कन्ट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधि अन्य कार्यालयों में तैनात है, माईक्रो प्रेक्षक सभी पुलिस कर्मी, होमगार्ड, चालक, परिचालक और वाहनों के क्लीनर जो निर्वाचन कार्यो में कार्यरत हैं, शामिल है यदि ऐसे व्यक्ति निर्वाचन संबंधि ड्यूटी पर होने के कारण उन मतदान केन्दों पर मतदान करने में असमर्थ हैं जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं अभ्यर्थियों के मतदान एजेन्ट भी इस प्रयोजनार्थ निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की श्रेणी में आते हैं को भी पोस्टल बैलेट/निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।

3– वैसे चुनाव कर्मी जिनकी प्रतिनियुक्ति अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ही की गयी है वे प्रपत्र 12 'क' में आवेदन दे सकते हैं ताकि उन्हे निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा सके। निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र सुयोग्य मतदान कर्मियों को सामग्री वितरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

4– वैसे मतदान कर्मी जिनकी प्रतिनियुक्ति उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में की गयी है जिसके वे निर्वाचक नही है, वे प्रपत्र 12 में आवेदन दे सकते है ताकि उन्हे द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ही पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर पर डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5– सभी मतदान कर्मियों को उन्हे मिले द्वितीय नियुक्ति पत्र से यह ज्ञात हो जायेगा कि उनकी प्रतिनियुक्ति किस विधान सभा खंड/क्षेत्र में की गई है। इससे उन्हें यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि उन्हे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करना है अथवा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण के द्वारा मतदान कराना है। इसके लिए वे आवेदन पत्र प्रपत्र–12 एवं 12क के साथ निरुक्ति पत्र एवं फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति

प्रस्तुत करेंगे ताकि आवशयक जांचोपरान्त उन्हे डाक मतपत्र अथवा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सके। डाक मतपत्र प्राप्त करने के पूर्व संबंधित मतदान कर्मी को प्रशिक्षण केन्द्र पर रखे गये पंजी में अपना भाग सं0 क्रमांक एवं विधान सभा क्षेत्र अंकित करते हुए हस्ताक्षर करना होगा।

6– निर्धारित द्वितीय प्रशिक्षण स्थल अनुग्रह इन्टर महाविद्यालय औरंगाबाद (गेट स्कूल), अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, टाउन हॉल, दानी विगहा बस स्टैन्ड तथा पुलिस लाईन औरंगाबाद में पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना किया जाता है। फैसिलिटेशान सेन्टर पर पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु फैसिलिटेशान मतपत्र बॉक्स उपलब्ध कराया जायेगा। फैसिलिटेशन मतपत्र बॉक्स फैसिलिटेशन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मुहरबन्द किया जायेगा तथा निर्धारित दिन के लिए सभी डाक मतपत्रों को राजनितिक दलों/अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फैसिलिटेशान केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बॉक्स को खोला जायेगा तथा प्राप्त डाक मतपत्र की विवरणी फार्मेट–1 में तैयार की जायेगी। इस पर उपस्थित राजनितिक दलों के अभ्यार्थियों के प्रतिनिधियों से हस्ताक्षर का अनुरोध किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति उन्हें दी जायेगी। फिर उन मतपत्रों को विधानसभावार तिथिवार थैलों में संधारित करते हुए सुरक्षित रखने हेतु सीलबंद कर चिन्हित की गयी बज्रगृह में रखा जायेगा। बज्रगृह पदाधिकारी द्वारा आवश्यक पंजी संधारित किया जायेगा। प्रतिनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी अगली तिथि को उसी खाली मतपेटिका को फिर से फैसिटिलेशन सेन्टर पर पूर्व की भांती प्रयोग कर सकेंगे।

7– डाक के द्वारा आने वाले सभी मतपत्रों के लेखा का संधारण भी प्रतिदिन अलग से किया जायेगा और इसे भी प्रतिदिन बज्रगृह में जमा कर दिया जायेगा। जिसकी पंजी बज्रगृह पदाधिकारी अलग से संधारित करेंगे। ड्रॉप बॉक्स से प्राप्त मतपत्र या डाक के द्वारा प्राप्त मतपत्र का दैनिक प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी विहित प्रपत्र में संधारित करेंगे। **फैसिलिटेशन के प्रभारी पदाधिकारी दण्डाधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।** फैसिलिटेशन सेन्टर पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद अपने स्तर से करेंगे।

8– प्रभारी पदाधिकारी, बज्रगृह कोषांग पोल्ड पोस्टल बैलेट पेपर को सुरक्षित रखवाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

9– फैसिलिटेशन सेन्टर की घेराबंदी, टेन्ट, पंखा, आवशयक उपस्कर/वोटिंग कम्पार्टमेन्ट तथा विडियोग्राफर–2, हेल्पडेस्क पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था कम्प्यूटर के साथ–2, सिलिंग हेतु सामग्री, कपड़े का थैला, लिफाफा, फैसिलिटेशान मतपेटी–12, ताला–12, निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय पता सहित मुहर–6, मतदाता सूची–5 सेट, आदि अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी औरंगाबाद करेंगे।

पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन के कार्य को सुचारू रूप से निशपादन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारी/कर्मचारी की टीम का गठन किया जाता है।

क्र0 सं0	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन दल	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर का स्थान	तिथि एवं समय	प्रभारी पदाधिकारी	सहयोगी पदाधिकारी	सत्यापन पदाधिकारी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी	प्रतिनियुक्त अन्य कर्मी	पोस्टल वैलेट हेतु चिन्हित मतदाता	अभियुक्ति
1	दल A	**अनुग्रह इन्टर स्कुल (गेट स्कुल) औरंगाबाद**	**06.10.15 से 09.10.15 तक** सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान कार्य कर सकेंगे।	**श्री इन्दीवर** पाठक, जिला **सहकारिता** पदाधिकारी, औरंगाबाद।	**श्री** राम कुमार **सहकारिता** प्रसार पदाधिकारी, औरंगाबाद।	–विधानसभा क्षेत्रवार राजपत्रित पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कार्मिक प्रबंधन को ाांग द्वारा किया जायेगा।	1. गोह–219 2. ओबरा–220 3. नवीनगर– 221 4. कुटुम्बा–222 5. औरंगाबाद–223 6. रफीगंज– 224	पीठासीन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी प्रत्येक वि.स.नि.क्षेत्र के लिए पी0–01 पी0–02 पी0–03 (कामिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।	–हेल्पडेस्क हेतु कर्मी (मतदाता सूची के साथ) कर्मी की प्रतिनियुक्ति डाक मत को ाांग से। –हेल्पडेस्क हेतु प्रत्येक वि.स.नि. क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर (कम्प्यूटर सिस्टम के साथ) की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। –विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा।	**मतदान कर्मी / वाहन कर्मी / अन्य कर्मी**	अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगबाद अनुग्रह इन्टर स्कुल (गेट स्कूल) से रोड के दक्षिणी भाग में लगभग 100मी0 पर अवस्थित है, जहां के कर्मी भी गेट स्कुल स्थित फैसिलिटेशन सेन्टर पर मतदान कर सकेंगे। –अनुग्रह मध्य विद्यालय में पोस्टल वैलेट हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी।

क्र0 सं0	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन दल	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर का स्थान	तिथि एवं समय	प्रभारी पदाधिकारी	सहयोगी पदाधिकारी	सत्यापन पदाधिकारी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी	प्रतिनियुक्त अन्य कर्मी	पोस्टल वैलेट हेतु चिन्हित मतदाता	अभियुक्ति
2	दल B	**अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, औरंगाबाद**	**06.10. 15 से 09.10. 15** तक सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान कार्य कर सकेंगे।	जिला, अवर निबंधक औरंगाबाद।	श्री प्रभात कुमार सिन्हा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कुटुम्बा।	–विधानसभा क्षेत्रवार राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी कार्य करेंगे।	1.गोह–219 2.ओबरा–220 3.नवीनगर– 221 4.कुटुम्बा–222 5.औरंगाबाद–223 6.रफीगंज– 224	पीठासीन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी प्रत्येक वि. स.नि.क्षेत्र के लिए पी0–01 पी0–02 पी0–03 (कामिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।	–हेल्पडेस्क हेतु कर्मी (मतदाता सूची के साथ) कर्मी की प्रतिनियुक्ति डाक मत कोषांग से। –हेल्पडेस्क हेतु प्रत्येक वि.स.नि. क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर (कम्प्यूटर सिस्टम के साथ) की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। –विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा।	**मतदान कर्मी / वाहन कर्मी / अन्य कर्मी**	

क्र0 सं0	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन दल	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर का स्थान	तिथि एवं समय	प्रभारी पदाधिकारी	सहयोगी पदाधिकारी	सत्यापन पदाधिकारी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी	प्रतिनियुक्त अन्य कर्मी	पोस्टल वैलेट हेतु चिन्हित मतदाता	अभियुक्ति
3	दल A	**टाउन हॉल, औरंगाबाद।**	**10.10.15 से 11.10.15 तक** सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान कार्य कर सकेंगे।	श्री इन्दीवर पाठक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद।	श्री राम कुमार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, औरंगाबाद।	–विधानसभा क्षेत्रवार राजपत्रित पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कार्मिक प्रबंधन कोषांग द्वारा किया जायेगा।	1.गोह–219 2.ओबरा–220 3.नवीनगर– 221 4.कुटुम्बा–222 5.औरंगाबाद–223 6.रफीगंज– 224	–पीठासीन पदाधिकारी –मतदान पदाधिकारी प्रत्येक वि. स.नि.क्षेत्र के लिए पी0–01 पी0–02 पी0–03 (कार्मिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।	–हेल्पडेस्क हेतु कर्मी (मतदाता सूची के साथ) कर्मी की प्रतिनियुक्ति डाक मत को ांग से। –हेल्पडेस्क हेतु प्रत्येक वि.स.नि. क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर (कम्प्यूटर सिस्टम के साथ) की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। –विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा।	**माईक्रो ऑब्जर्वर /गशती दण्डाधिकारी एवं अन्य**	

क्र0 सं0	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन दल	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर का स्थान	तिथि एवं समय	प्रभारी पदाधिकारी	सहयोगी पदाधिकारी	सत्यापन पदाधिकारी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी	प्रतिनियुक्त अन्य कर्मी	पोस्टल वैलेट हेतु चिन्हित मतदाता	अभियुक्ति
4	दल B	**दानी विगहा, बस स्टैण्ड औरंगाबाद ।**	**10.10.15** सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान कार्य कर सकेंगे।	जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद।	श्री प्रभात कुमार सिन्हा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कुटुम्बा।	–विधानसभा क्षेत्रवार राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी कार्य करेंगे।	1.गोह–219 2.ओबरा–220 3.नवीनगर– 221 4.कुटुम्बा–222 5.औरंगाबाद–223 6.रफीगंज– 224	पिठासीन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी प्रत्येक वि.स.नि.क्षेत्र के लिए पी0–01 पी0–02 पी0–03 (कार्मिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।	–हेल्पडेस्क हेतु कर्मी (मतदाता सूची के साथ) कर्मी की प्रतिनियुक्ति डाक मत कोषांग से। –हेल्पडेस्क हेतु प्रत्येक वि.स.नि. क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर (कम्प्यूटर सिस्टम के साथ) की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। –विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा।	वाहन कर्मी एवं अन्य	

क्र0 सं0	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन दल	पोस्टल वैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर का स्थान	तिथि एवं समय	प्रभारी पदाधिकारी	सहयोगी पदाधिकारी	सत्यापन पदाधिकारी	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी	प्रतिनियुक्त अन्य कर्मी	पोस्टल वैलेट हेतु चिन्हित मतदाता	अभियुक्ति
5	दल B	**पुलिस लाईन औरंगाबाद।**	**11.10.15** सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान कार्य कर सकेंगे।	जिला अवर निबंधक औरंगाबाद।	श्री प्रभात कुमार सिन्हा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कुटुम्बा।	–विधानसभा क्षेत्रवार राजपत्रित पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी कार्य करेंगे।	1.गोह–219 2.ओबरा–220 3.नवीनगर– 221 4.कुटुम्बा–222 5.औरंगाबाद–223 6.रफीगंज– 224	पीठासीन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी प्रत्येक वि. स.नि.क्षेत्र के लिए पी0–01 पी0–02 पी0–03 (कार्मिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा प्रतिनियुक्त किया जायेगा।	–हेल्पडेस्क हेतु कर्मी (मतदाता सूची के साथ) कर्मी की प्रतिनियुक्ति डाक मत कोषांग से। –हेल्पडेस्क हेतु प्रत्येक वि.स.नि. क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर (कम्प्यूटर सिस्टम के साथ) की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा। –विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा।	**पुलिस कर्मी के लिए।**	

उपर्युक्त प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह दायित्व होगा कि :-

(1) सभी मतदान कर्मियों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रपत्र 12/12क उपलब्ध कराना।

(2) सुयोग्य मतदान कर्मियों से भरे हुए प्रपत्र 12/12क जिसके साथ नियुक्ति पत्र तथा इपिक (EPIC) भी संलग्न हो को प्राप्त करना।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों की सत्यता की जांच करना।

(4) जांचोपरांत सही पाए गए आवेदन पत्रों से संबंधित मतदाताओं की मतदाता सूची में लाल स्याही से PB/EDC अंकित करना। (Markकरना)

(5) डाक मतपत्र प्राप्त करने योग्य मतदाताओं को संबंधित पंजी में हस्ताक्षर कराकर डाक मतपत्र प्रपत्र 13क, 13ख, 13ग, एवं 13घ तथा मतपत्र बड़े लिफाफे में डालकर उपलब्ध कराना।

(6) प्राधिकृत सत्यापन पदाधिकारी प्रपत्र 13 'क' में किये गये घोषणा को जाँचोपरान्त सत्यापित करेंगे।

(6) प्रशिक्षण केन्द्र में अवस्थित पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेन्टर में रखे गये मुहरबंद ड्रॉप बॉक्स (मतपेटिका) में डाक मतपत्र द्वारा मतदान कराने की व्यवस्था करना।

(7) प्रपत्र 12/12क में प्राप्त आवेदनों के जाँचोपरान्त योग्य पाए गए मतदाताओं को दिये जाने वाले निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रपत्र 12 'ख' में तैयार करना ताकि उक्त प्रमाण पत्रों को संबंधित मतदान कर्मियों को दिया जा सके।

(8) सहायक निर्वाची पदाधिकारी डाक मतपत्र द्वारा मतदान के उपरांत दोनों फैसिलिटेशन केन्द्रों से संबंधित सभी मतपेटिकाओं को नियमानुसार अपने पर्यवेक्षण में बज्रगृह में लाकर सुरक्षित रखवाना सुनिशिचत करेंगे।

(9) उपर्युक्त सभी कार्यों की विडियोग्राफी कराई जायेगी।

(10) प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी यह सुनिश्चित करेंगे कि डाकमत पत्र किसी अपात्र व्यक्ति को जारी न हो जाये, इसके लिए प्रपत्र- 12 में अंकित सूचनाओं के अनुसार मतदाता सूची से मिलान करेंगे तथा कर्मी का फोटो पहचान पत्र तथा नियुक्ति पत्र की प्रति प्राप्त कर मिलान कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही डाक मतपत्र निर्गत करेंगे।

(10) उपर्युक्त सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्मिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा की जायेगी। फैसिलिटेशान दल A हेतु विधानसभा वार सत्यापन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कार्मिक प्रबंधन कोषांग के द्वारा किया जायेगा। फैसिलिटेशन दल B हेतु विधानसभा वार सत्यापन पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी कार्य करेंगे जिसका आदेशा अलग से डाक मतपत्र कोषांग से निर्गत किया जायेगा। हेल्पडेस्क पर मतदाता सूची के अनुसार कर्मी की प्रतिनियुक्ति डाक मतपत्र कोषांग से किया जायेगा।

ह०/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।

ज्ञापांक 40 /डा०म०को०, दिनांक 21/09/2015

प्रतिलिपि :- प्रेक्षक (सामान्य) औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

E:\vidhan sabha election 2015\Election file 2015 (2).docx